



To

Director General,
Information and Public Relation Department,
Haryana Civil Secretariat (Main),
Sector-1, Chandigarh

Memo No. IT/DULB/2019/ 1464


Dated: 08.03.2019

Subject: Publication of public notice in News Paper.

In continuation to this office letter no. IT/DULB/2019/205 dated 08.01.2019 on the subject cited above.

2. Vide letter under reference, you were requested to direct the concerned to get the public notice published in all the newspapers of Haryana edition. Now it has come to notice of this department that the said public notice has not yet been published in the newspapers.
3. Keeping in view of above, it is again requested to direct the concerned to get the public notice published in all the newspapers of Haryana edition.

DA: Public notice


Superintending Engineer-IT
for Director General, Urban Local Bodies
Haryana, Panchkula

CC:

1. PA/DGULB
2. JDULB

स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकुलाजन-सूचना

समस्त नगरवासियों आप के ध्यान में यह लाया जाता है कि आपके वार्ड एवम् कॉलोनी क्षेत्र में सभी घरों, दुकानों, भुखण्डों व अन्य सम्पत्तियों का राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशन में स्थानीय कमेटी द्वारा घर-घर जाकर सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

- सर्वे के कार्य हेतु याशी कन्सल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। आप फर्म के अधिकृत सर्वेयर को सम्बन्धित सूचना निम्न दस्तावेजो सहित उपलब्ध करावें:-
 1. बिजली के बिल की कापी
 2. पानी के बिल की कापी
 3. आपका एक फोटो आई डी प्रूफ
 4. आपका आधार नम्बर (Optional)
 5. आपकी सम्पत्ति की रजिस्ट्री की फोटो कापी
 6. किरायेदार के लिये मालिक के साथ हस्ताक्षर किये गये किराये नामे की कापी।
 7. दुकान से सम्बन्धित लाइसेंस की कापी
 8. आप द्वारा पूर्व में जमा करवाये गये प्रोपर्टी टैक्स की कापी ।
- सर्वे कार्य के उपरान्त आपकी सम्पत्ति व आपसे सम्बन्धित सूचनाओ का संकलन "आनलाईन" प्रणाली पर किया जावेगा, जिससे आपको अपने प्रोपर्टी टैक्स, व केन्द्र एवम् राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जानने, समझने के साथ, योजनाओ का लाभ प्राप्त होगा व आपको प्रोपर्टी का एक आई डी नम्बर भी दिया जावेगा, जो भविष्य में आपके लिये काँफी उपयोगी होगा।
- अगर आप द्वारा अपनी प्रोपर्टी किराये पर दी हुई है, तो कृपया अपने किरायेदार को फोन कर आपके मोबाईल नम्बर सर्वेयर को देने बाबत अवश्य अवगत करावें और किरायेदार भाईयों और बहनों से भी निवेदन है कि वह अपना मोबाईल नम्बर, आई डी, किरायेनामा की फोटो कापी सर्वे के समय तैयार रखे।
- सर्वे के दौरान आपको अपनी प्रोपर्टी का एरिया नाप-जोख सही-सही करवानी है व अपना एरिया सर्वेयर से सही रूप से चैक करके सर्वे दौरान फोटो खिचवाया जाना है, सर्वे के बाद आप द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एक OTP के साथ Temporary यूनिक सर्वे ID आवेगा, जिसको आपको सुरक्षित रखना है। जिससे आपको भविष्य मे अपनी प्रोपर्टी की जानकारी मिल सकेगी।
- सर्वे एजेन्सी के किसी भी सर्वेयर को आप द्वारा कोई भी फीस या पैसा किसी भी रूप में नहीं देना है।

आज्ञा से
निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
हरियाणा, पंचकुला